



Neutral Citation No. 2026:AHC:19274

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 298 / 2026

मेवा लाल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता
यादव

फूल सिंह यादव प्रगति जायसवाल वैभव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव यादव और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता को सुना गया।
2. यह याचिका प्रत्यर्थी संख्या 3/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को यह निर्देश देने के लिए परमादेश जारी करने हेतु दायर की गई है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत दायर पुनरीक्षण संख्या 2302/2022 (मेवा लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) का निस्तारण एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत चल रही कार्यवाही से उत्पन्न याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2022 से ही प्रत्यर्थी संख्या 3/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि यह दर्शाने के लिए कि इस मामले की सुनवाई में अपेक्षित तेज़ी नहीं दिखाई जा रही है इस मुकदमा की आदेशपत्र की एक प्रति याचिका के साथ संलग्न संख्या 6 के रूप में संलग्न की गई है।
4. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 2302/2022 (मेवा लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) का निर्णय पक्षों को विधि के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत शीघ्रतापूर्वक अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करें।
5. तदनुसार रिट याचिका का अंतिम रूप से *निस्तारण किया जाता है।*

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

28 जनवरी 2026

रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"